न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या—294 / 2021 दायर दिनांक—20.07.2021

जीसीएमएस नं. 2021 / 309

बत्तु पुत्र मांग्या जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती गिसुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

——————सायलान—02

बनाम

1. पुरन
2. द्वारका
3. जनक
4. रेवती

} पिसरान कोकादेवी पत्नि हण्डू जाति कोली ग्राम डाडा, तहसील मासलपुर जिला

5. महाराजसिंह
6. पप्पू
7. रामरति पुत्री कोकादेवी पत्नि महेश कोली, जाति कोली निवासी सुनार गली, कुंडा के पास बयाना, जिला भरतपुर (राज0)
8. सब—रजिस्ट्रार महावीरजी, तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली
9. तहसीलदार श्रीमहावीरजी, तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।

——गैरसायलान—03

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री पी एल गोयल सायल
2. श्री सीताराम गुर्जर गैरसायालन 1 ता 5
3. गैरसायलान 8 ता 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 2177 रकबा 1.33 है0 स्थित ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:22:11 IST
Reason: SelfAttested

आराजी मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में सा[illegible] का [illegible]/133 हिस्सा एवं गैरसायलान नम्बर—1 लगायत 7 की मॉ कोकादेवी [illegible] इसी प्रकार उक्त आराजी सायल एव गैरसायलान नम्बर—1 ता 7 के बुजुर्ग कोका[illegible] की संयुक्त खातेदारी [illegible] काश्त की आराजी रही है और उक्त आराजी में सायल एवं गैरसायलान नम्बर—1 ता 7 की मॉ कोकादेवी अपने—अपने हिस्से के अनुरूप काबिज व दखील होकर उक्त भूमि में काश्त करते चले आ रहे है।

सायल व गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 की माँ कोकादेवी ने आराजी मुतजिका मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र की आराजी को अपने हिस्से के अनुरूप बाहमी तकासमा कर रखा है जिसमें उक्त आराजी के पश्चिम की तरफ 83 ऐयर पर वादी काबिज व दखील होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा पूर्व की तरफ की 50 ऐयर भूमि पर गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 उसकी विधिक वारिश है और कोकादेवी के मृत्यु उपरांत उसके हिस्से पर काबिज व दखील होकर उक्त आराजी के बाहमी तकास्मे के अनुरूप पूर्वी हिस्से की 50 ऐयर भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है और वर्तमान में भी इसी प्रकार सायल एवं गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है।

सायल एवं गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 ने आराजी मुतजिका मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र का मौके पर बाहमी तकास्मा के अनुरूप काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन उक्त आराजी का विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में तकास्मा न होने से उक्त भूमि में अपने–अपने हिस्से की डौल मेड को लेकर फसल काश्त करते समय व दरोह करते समय आपसी तानजा रहता है, इसलिए उक्त भूमि का तकास्मा किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

बांका दिनांक 11.07.2021 दिन के करीब 10:00 बजे का है कि सायल अपने हिस्से की खेतों की बुवाई हेतु साफ सफाई कर रहा था कि उक्त गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 अपने हमराहियान के साथ मौके पर एकराय होकर आ गये और सायल से कहा कि इस जमीन की साफ सफाई क्यों कर हो इस जमीन पर तो हम कब्जा करेंगे काश्त करेगें जिस पर सायल ने कहा कि यह जमीन तो मेरे हिस्से की है और मैं तुम्हारी माँ कोकादेवी के समय से ही बाहमी तकास्मे के अनुरूप उपयोग उपभोग कर काश्त करता चला आ रहा हूँ। तुम्हारा इससे क्या वास्ता है तुम यहाँ पर क्यों आये हों, इतना सुनते ही गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 नाराज हो गये और सभी ने एक स्वर में वादी को जमीन से जबरन बेदखल कर जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी तथा उक्त भूमि को दीगर लठैत बदमाश लोगो को विक्रय कर उनका कब्जा कराकर तुम्हें बेदखल कर देगें। सायल ने गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 से उक्त भूमि का तहसील कार्यालय चलकर तकास्मा करने के लिये कहा, लेकिन गैरसायलान 1 ता 7 से उक्त भूमि का तहसील कार्यालय चलकर तकास्मा कने से इंकार कर दिया है। सायल के काफी समझाने पर भी गेरसायलान नम्बर 1 ता 7 मानने का तैयार नहीं है।

गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पा[illegible] से गेरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैर[illegible] सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:22:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निवेदन किया है गैरसायलान को दौरान वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि आराजी खसरा न0 2177 रकबा 1.33 है0 स्थित ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में

सायल के 83/133 पश्चिमी हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई नाजायज मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करे, नाही किसी अन्य से करावे। उक्त आराजीयात से सायल को जबरन बेदखल कर स्वयं या किसी अन्य के द्वारा उक्त आराजी में सायल के हिस्से पर कब्जा नहीं करे तथा उक्त आराजी के किसी भी हिस्से को बिना बटवारा कराये किसी अन्य गैर व्यक्ति को रहन बय कर उसका कोई दस्तावेज गैरसायल नम्बर-8 के कार्यालय में पंजीकृत नहीं करावे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे सायल के हक हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। मौके एवम रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाऐ रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान 1 ता 7 की ओर से सीताराम गुर्जर अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं जबाव पेश किया गया एवं गैरसायलान 8 व 9 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 11.05.2022 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74, एवं फोटो प्रति नक्शा ट्रैस खसरा नं0 2177 खाता संख्या 299 ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सायला का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 299 खसरा नं0 2177 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सायलान ने अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्यों से बहस को अपने पक्ष में करने में सफल नहीं रहा है। ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया है कि उक्त विवादित आराजीयात में सायलान का कब्जा काश्त हो एवं उक्त विवादित आराजीयात में गैरसायलान 1 ता 7 की मां कोकादेवी में सहखातेदार है एवं प्रकरण में सायलान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकरण का प्राईमाफेस केस एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:22:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2177 रकवा 1.33 है0 वाके नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी खारिज किया जाता है एवं प्रकरण में जारी अतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.07.2021 को विड्रो

किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

आदेश आज दिनांक 09.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 3/7/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:22:11 IST
Reason: SelfAttested